राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 6271/2021

सुनीता सेहरा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.12.2021
आदेश की दिनांक : 08.10.2025

<u>उपस्थित –</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वृंदावन ग्राम पंचायत स्लोथिया, पंचायत समिति झालावाड़ जिला झालावाड़ में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.09.2013 के आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर कार्यग्रहण करने निर्देश दिया जाकर दो वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा गया तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.09.2013 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया। अपीलार्थी ने दिनांक 11.09.2013 (अनुलग्नक–3) को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वृंदावन ग्राम पंचायत स्लोथिया जिला झालावाड़ में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को वर्ष 2012 में जारी विज्ञापन द्वारा चुना गया था, परन्तु अपीलार्थी को दिनांक 11.09.2013 के द्वारा नियुक्ति दी गई। जबकि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को वर्ष 2012 में नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी की नियुक्ति में देरी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई है। इसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। अपीलार्थी काल्पनिक आधार पर वेतनमान/चयन वेतनमान का

लाभ पाने की हकदार है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, परन्तु जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अपीलार्थी ने दिनांक 07.12.2020 (अनुलग्नक–1) को विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया गया। अपीलार्थी लगातार प्रत्यर्थी विभाग के नियंत्रण में काम कर रहा है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उस तारीख से सेवा की अवधि की गणना नहीं कर रहे हैं, जो कार्मिक योग्यता में निचले स्थान पर रहे या समान पद दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17023/2018 प्रदीप कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.11.2018 (अनुलग्नक–4) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III के पद के लिए सभी काल्पनिक लाभ उस तिथि से देने का निर्देश दिया जाए, जिस तिथि से कम अंक या समान अंक वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है और इसके अलावा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी की सेवा की अवधि की गणना उस तिथि से करें, जिस तिथि से समान स्थिति वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है और साथ ही सभी परिणामी लाभों के साथ वरिष्ठता और वेतन निर्धारण सहित सभी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य